न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
21/2021	एफएसएस एक्ट, 2006	30/11/2021

1. प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर

–आवेदक

बनाम

1. भगवान सहाय गुप्ता पुत्र स्व0 श्री श्रवणलाल गुप्ता उम्र लगभग 40 वर्ष जाति महाजन (एकीओ व मालिक)–फर्म–भगवान सहाय धीरज कुमार , माल गोदाम रोड, नर्सिंग कॉलोनी, गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी निवासी माल गोदाम रोड, नर्सिंग कॉलोनी गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी।

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक:– 13.06.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 02.06.2021 को लगभग 10.30 ए.एम. पर दौराने गश्त फर्म–भगवान सहाय धीरज कुमार ,माल गोदाम रोड, नर्सिंग कॉलोनी, गंगापुर सिटी पर निरीक्षण हेतु पहुँचा। वहां पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम भगवान सहाय गुप्ता पुत्र स्व0 श्री श्रवणलाल गुप्ता उम्र लगभग 40 वर्ष जाति महाजन तथा स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया। भगवान सहाय गुप्ता अपनी दुकान पर सरसों तेल, रिफाईन्ड सोयाबीन तेल आदि आमजन को विक्रय करता है। आवेदक द्वारा निरीक्षण के समय दुकान के विक्रय परिसर में एक खुले लोहे के टीन में आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य वस्तु सरसों तेल (खुला) का निरीक्षण करने पर उसमें मिलावट का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता एवं फर्म मालिक भगवान सहाय गुप्ता से उक्त खाद्य वस्तु सरसों का तेल खुला में से शुद्धता की जांच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये।

आवेदक द्वारा प्लास्टिक ड्रम में रखे हुए सरसों का तेल (खुला) में से 2 लीटर शुद्धता की जांच की जाने हेतु नमूना लेने बाबत् खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 250/–रू0 नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा नमूने की पूर्ण कार्यवाही कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सिल बन्द किया गया था उक्त फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द शीशी एक आउटर कवर में लेपटकर सिल मोहर कर तथा अलग से फार्म नं0 6 की दो प्रतियों एक लिफाफे में सील मोहर कर आउटर कवर में सील बन्द शीशी व फार्म नं0 6 का सील बन्द लिफाफा मौ0असलम वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 03.06.2021 को मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा सील बंद नमूना के दो शीशी भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति डी0ओ0 कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एफएसएसए/2021/1301 दिनांक 17.06.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/647/एक्ट/2021/676 दिनांक 09.06.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा बासो नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (खुला) **Contravenes Regulation No. 2.3.15(1)(b) of FSSA (prohibition & Restriction) Regulation 2011** प्रकृति का पाया गया। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (V)का उल्लघंन है। जिसका जुर्माना धारा 58 में वर्णित है।

उक्त प्रकरण में मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/647/एक्ट/2021/676 दिनांक 09.06.2021 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने **Contravenes Regulation No.**

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

2.3.15(1)(b) of FSSA (prohibition & Restriction) Regulation 2011 प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (v) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 58 में सजा व जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकताम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित । अभियुक्त के अधिवक्ता ने जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा उभय पक्षों को सुना गया।

वकील अभियुक्तगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवदेक को उक्त कार्य करने का विधिक रूप से कोई अधिकार दिनांक 02.06.2021 को नहीं था। सैम्पलिंग की कार्यवाही अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा की गयी है परिवादी प्रेमचन्द्र जैन को परिवाद पेश करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। सैम्पल अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा एनेलिस किया गया है। करण सिंह तनवार के पास एनेललिस से संबंधित कोई आवश्यक योग्यता नहीं है। आवेदक द्वारा पैकड टीन में से सैम्पिल लिया गया था, मगर खुले टीन में से सैम्पल लेना बताया गया है। आवेदक द्वारा पूर्ण नियमों की पालना नहीं की गयी है। प्रार्थी शील बन्द पैकिंग में ही विक्रय का कार्य करता है। कोई खुला सामान नहीं बेचता है। तेल भी सील बन्द डिब्बा एवं टीन में विक्रय करता है। इसलिए कार्यवाही ड्राप की जावे। प्रार्थी जबाबदार गरीब दुकानदार व्यक्ति है। अपनी दुकान की आगद से ही अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। इसलिए प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्राप फरमायी जावे।

पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/647/एक्ट/ 2021/676 दिनांक 09.06.2021 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने **Contravenes Regulation No. 2.3.15(1)(b) of FSSA (prohibition & Restriction) Regulation 2011** प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है, आवेदक उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तो रैफरेल प्रयोगशाला में जाव हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था, साथ ही वकील अभियुक्त ने अपनी बहस में आवदेक को उक्त कार्य करने का विधिक रूप से कोई अधिकार दिनांक 02.06.2021 को नहीं था। सैम्पलिंग की कार्यवाही अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा की गयी है परिवादी प्रेमचन्द्र जैन को परिवाद पेश करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। सैम्पल अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा एनेललिस किया गया है। करण सिंह तनवार के पास एनेललिस से संबंधित कोई आवश्यक योग्यता नहीं बताया है। लेकिन उक्त क्रम में वकील अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे वकील अभियुक्त द्वारा कहे हुए कथन सिद्ध हो सके। अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 58 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त को 10,000 (दस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक...13.06.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी